पासपोर्ट PASSPORT



शहायेद ज्यते

MIVE STUTTED
REPUBLIC OF INDIA

G5763245<0IND7104170F1711040<<<<<<<< P<INDMODY<<AJEETA<GAURANG<<<<<<<<<<

05/11/2007

04/11/2017

HYDERABAD

PAITHAN M.S



MODY

भारत

वाजाराज्य

REPUBLIC

OF

INDIA

AJEETA GAURANG

9 5763245

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपेक्षा की जाती है कि वे वाहक को बिना रोक-टोक, आजादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE, AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

> भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गया BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

PASSPORT OFFICE पासपोरे कार्यालय Myderamae-Editari

नो. महबूब अलि Md. MAHABOOB ALI

सहायक/Assistant कृते पासपोर्ट आधिकारी For Passport Officer हैदराबाद/Hyderabad.

पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने को निकटतम भारतीय मिशन / चौकी पर पंजीकृत करवा लें ।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। पासपोर्ट अधिकारी से इस पासपोर्ट के संदर्भ में कोई सूचना मिलने पर जिसमें इसे सुपूर्व करना शामिल है, उसका तरन्त अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट घारक या उसके द्वारा प्रायिकृत व्यक्ति के कब्बे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के फेरबदल या विकृत नहीं किया जाना चाहिए ।

पासपोर्ट गुम जाना, चोरी हो जाना या नच्ट हो जाने पर उसकी रिपोर्ट तत्काल भारत में निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को (तथा यदि घारक विदेश में हो) निकटतम भारतीय मिशन को और स्यानीय पुलिस को दी जानी चाहिए। निश्शेषित पुछताछ के पश्चात ही प्रतिपुरक पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGIS-TER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION / POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IM-

PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTE-RED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF PASSPORTS SHOULD BE IMME-DIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE, ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A REPLACEMENT PASSPORT BE ISSUED.

जन्त्रमी अभिगान

ATEL SH II A

ne of Mother S A A AN LP

V

KAI

ANT AY of AN œ AUI वति या पत्नी का 9 > 0

MO

-HH A S 0 . पता /Address ON

BEGUMP S EN 0 2 A 9 = IKO. HO S

00 5 0 V AB 10. 8 Igo A ш HYD

0 -पुराने पासपोर्ट र A 6 9 1 3

0 M 0 DM फाईल लं. HYDM

36

V

×

assport No. with date and Place of issue 6 0 2 V 016

V MUMB